न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री बगताराम पुत्र खीमाराम जी, जाति- लुहार, निवासी- अरठवाडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 23/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह डाबी, अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अश्विन कुमार मरडिया, राजकीय अधिवक्ता

-: निर्णय :- **दिनांक 22 फरवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 बाबत ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 660 मी रकबा 1.00 बीघा किस्म ओरण भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि को गया और यह बताया कि आगामी तारीख पेशी की सूचना नोटिस से आपको प्रेषित कर देंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पीठ पीछे प्रथम सुनवाई तिथि 10.11.2014 को ही निर्णय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी [illegible] नहीं किया है, बल्कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अपने पूर्व [illegible] जरिये [illegible] कब्जा लगातार चला आ रहा है। विवादित भूमि ग्राम अरठवाडा [illegible] आबादी से लगती हुई है जिसको आबादी विस्तार हेतु आवंटन की कार्यवाही पंचायत द्वारा की गई है। [illegible] भूमि पर अपीलार्थी के पूर्व रसाधिकारियों ने केलुप[illegible] आवासीय मकान का निर्माण किया था जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:37 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

पर अपीलार्थी निवास कर रहा है। अपीलार्थी अपने पुराने कब्जे के आधार पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों व आदेशों के अनुसार विवादित भूमि का अपने हक में नियमन कराने का अधिकारी है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा संवत 2071 में अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि पर उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि की किस्म ओरण है, जो चारागाह श्रेणी की भूमि है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2071 में ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 660 मी. रकबा 1.00 बीघा किस्म ओरण भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि 10.11.2014 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने राजकीय बिलानाम किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:37 IST
Reason: SelfAttested